न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 317/2016

बउनवान

बनवारीलाल पुत्र श्री आनन्दीलाल जाति–धाकड निवासी ग्राम खेराली तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 25.03.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 05.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–खैराली, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 110/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं प्रक्रिया तथा विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का दर्शायी गयी अतिक्रमित आराजी पर कोई फसल काश्त नहीं है, कब्जा नहीं है। अपीलांट ने उक्त आराजी से अपना कब्जा पूर्व हीं हटा रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन जारी किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख आने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है। जबकि अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट ने उक्त आराजी से काफी वर्षो से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली पडी हुयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका देखे एवं बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये आदेश पारित किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई दस्तावेजात् को रेकार्ड पर नहीं किया गया है। अपीलांट भविष्य में भी उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध रहेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 901/12 निर्णय दिनांक 02.11.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड रखा है तथा भविष्य में वर्णित आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति व नरमी का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.112014 से पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 952/14 में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 05.11.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसील[illegible] उक्त निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को सरे इजला[illegible] जाकर सुनाया गया।

([illegible])
जिला कलक्टर,बारां

Web Copy - Not Official